

कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश

59 आदि भवन अरेरा हिल्स

क्रमांक/शिक्षा स्था-4/1046/2026/ 6829

भोपाल, दिनांक- 7/4/25

प्राथमिक शिक्षक (खेलकूद, संगीत-गायन वादन, नृत्य) वर्ष 2025

चयनित आवेदकों के लिये निर्देशिका

1. मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भर्ती), भर्ती नियम, 2018 तथा यथा समय-समय पर संशोधन ('भर्ती नियम, 2018 उल्लेखित किया गया है) में उल्लेखित प्रावधानों तथा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत कर्मचारी चयन मंडल मध्यप्रदेश भोपाल, के द्वारा माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा, वर्ष 2024 में आयोजित की गई। चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड, सत्यापन एवं विकल्प चयन की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है।
2. विषयवार एवं प्रवर्गवार रिक्तियों-कर्मचारी चयन मंडल द्वारा चयन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन अनुसार रहेंगी।
3. उपरोक्त प्रक्रिया में शैक्षणिक / व्यवसायिक योग्यता, आयुसीमा, आरक्षण, निरर्हताएं इत्यादि प्रावधान कर्मचारी चयन मंडल द्वारा चयन परीक्षा के विज्ञापन के समय जारी नियम पुस्तिका अनुसार लागू होंगे। (संलग्न -नियम पुस्तिका)
4. अधिनियम/नियम/निर्देश/विभिन्न अधिसूचनाओं तथा इस निर्देशिका के मध्य किसी भी प्रकार का विरोधाभास अथवा अंतर पाये जाने की स्थिति में मूल अधिनियम/नियम/ अधिसूचना /निर्देश ही मान्य होंगे।
5. अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे ऑनलाईन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम/नियम तथा अद्यतन निर्देशों का अध्ययन कर लें। विवरण एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल <https://trc.mponline.gov.in> पर उपलब्ध हैं।
6. प्रक्रिया शुल्क (Processing Fee) - एम.पी. ऑन लाईन को पोर्टल शुल्क रु 100 ( 7 दस्तावेज अपलोड सहित) देय होगा। अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की संख्या के अनुसार दस्तावेज अपलोड शुल्क पृथक से 5 रु. प्रति दस्तावेज के मान से देय होगा। यह शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
7. अभ्यर्थी ऑनलाईन प्रक्रिया/तकनीकी समस्या के समाधान के लिये MPOnline के कस्टमर केअर नं. 0755-6720200 पर समय प्रातः 9:30 बजे से सांय 7:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।

8. दस्तावेज अपलोड एवं सत्यापन की प्रक्रिया नियमानुसार होगी :-

(8.1) कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को इस निर्देशिका के संलग्न परिशिष्ट 1 अनुसार दस्तावेज <https://trc.mponline.gov.in> पर निर्धारित समयावधि में अपलोड करने होंगे।

(8.2) दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हैं। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के आवंटन का अंतिम अधिकार आयुक्त, जनजातीय कार्य को होगा।

(8.3) इसी चरण में अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड उपरांत संभाग का चयन करना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाए गए समस्त संभागों को प्राथमिकता क्रम में देना अनिवार्य होगा। तदुपरांत लॉक कर पोर्टल शुल्क का भुगतान करना होगा।

(8.4) जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड एवं समस्त संभागों का प्राथमिकता क्रम दर्ज कर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा एवं इसके पश्चात इस संबंध में किसी भी तरह के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा वे मेरिट क्रम के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे।

(8.5) संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन हेतु सहायक आयुक्त/जिला संयोजक कार्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज एवं उनकी स्वप्रमाणित प्रतियों के 02 स्वहस्ताक्षरित सेट साथ लाने होंगे ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा करा लिए जाएंगे तथा इसका ऑनलाईन प्रमाणीकरण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाईन जनरेटेड पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी सत्यापनकर्ता अधिकारी के समक्ष अपनी पहचान हेतु अपना आई.डी यथा आधार कार्ड इत्यादि के साथ उपस्थित होंगे। निर्धारित तिथि तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अयोग्य माना जाएगा तथा इसके पश्चात किसी भी तरह के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के उपरांत किसी भी दस्तावेज में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9. अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

(9.1) अंकसूची/उपाधि (शैक्षणिक एवं व्यावसायिक) मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिविहित सक्षम

प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये ही स्वीकार किये जाएंगे। यह दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थी का होगा।

(9.2) प्राथमिक शिक्षक (खेल, संगीत-गायन वादन एवं नृत्य) के लिए आयोजित चयन परीक्षा 2024 में सम्मिलित आवेदकों द्वारा आवेदन के समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम में अतिथि शिक्षक की श्रेणी में जिन अभ्यर्थियों का चयन अतिथि प्रवर्ग में किया गया है सिर्फ उन्हीं को पात्रता धारित करने पर अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

(9.3) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5287/2025 में पारित आदेश दिनांक 13/03/2026 के अनुपालन में अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाणपत्र विज्ञप्ति अनुसार आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक का मान्य होगा।

9.3.1 अतिथि शिक्षकों से संबंधित अनुभव प्रमाण-पत्र निम्नानुसार मान्य किया जाना है :-

(1) स्कूल शिक्षा विभाग – जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित। जिला अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र की GSMF पर देखा जा सकता है।

(2) जनजातीय कार्य विभाग के जिला संयोजक/सहायक आयुक्त, द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया प्रमाण-पत्र।

9.3.2 यदि अभ्यर्थी द्वारा अतिथि शिक्षक का कार्य करते हुए उसी शैक्षणिक सत्र में नियमित छात्र के रूप में उपाधि अर्जित की गई है तो इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित की जाये:-

9.3.2.1 ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा जिस स्थान से अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है और उस स्थान से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है तो इस अवधि को अनुभव हेतु मान्य नहीं किया जाएगा। उस अवधि को छोड़कर यदि शेष अवधि में न्यूनतम 03 शैक्षणिक सत्र एवं 200 दिवस प्रति सत्र न्यूनतम 30 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया गया है तो अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थिता मान्य की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थिता अमान्य की जायेगी।

9.3.2.2 यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ-साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त की है और अतिथि शिक्षक के पास उन्ही 03 शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस का अध्यापन कार्य अनुभव है प्रति सत्र न्यूनतम 30 दिवस हो तो उसे अतिथि शिक्षक के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा, एवं उसकी अभ्यर्थिता अमान्य की जायेगी।

(9.4) जिन अभ्यर्थियों को बोनस अंक प्राप्त हुये है, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति अभ्यर्थिता मान्य नहीं होगी।

(9.5) चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान उसी दिव्यांगता श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिस दिव्यांग श्रेणी में अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उसी श्रेणी में 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांग श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों की दिव्यांगता परीक्षण उपरांत ही पात्रता अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करने की कार्यवाही की जायेगी।

(9.6) जिन अभ्यर्थियों द्वारा बोनस अंक प्राप्त किए गए हैं उनका यह दायित्व होगा कि वे उससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें।

(9.7) कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम डेटा में परिवर्तन की अधिकारिता विभाग को नहीं है।

(9.8) अंतिम रूप से अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे।

10. महत्वपूर्ण गतिविधियों की तिथियां :-

क्रमांक	विवरण	प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत-गायन वादन एवं नृत्य
1	अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल अपडेट करना, दस्तावेज अपलोड करना, संभाग एवं जिला का विकल्प चयन करना	09/04/2026 से 16/04/2026 तक
2	अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किये गये दस्तावेजों का जिला एवं संभाग स्तर पर सत्यापन कराना	

विशेष- उपरोक्त तिथि अनुमानित हैं तथा किसी भी समय आवश्यक होने पर परिवर्तित की जा सकेगी। अभिलेख सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से स्थान, दिनांक तथा समय की सूचना उनके पंजीकृत मोबाईल / दूरभाष क्रमांक पर एसएमएस तथा ई-मेल के माध्यम से दी जावेगी। अभ्यर्थी स्वयं का स्टेटस भी <https://trc.mponline.gov.in> पद पर ऑनलाईन चेक कर सकेंगे।



अपर संचालक  
जनजातीय कार्य  
मध्यप्रदेश